न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/139

हरिशंकर आयु 80 साल आत्मज श्री सुखदेव जाति धाकड निवासी सुवानिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी महोदय नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
3. सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, नैनवा) ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकी भूमि आवंटन) नियम 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत ग्राम सुवानिया तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 14 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि पटवार घर सुवानिया को दिनांक 20.11.2010 के द्वारा निशुल्क आवंटित करने को आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 20.11.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा को आवंटन करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 308 में से 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया है लेकिन कौनसी 10 बिस्वा भूमि है इस बाबत् कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर चारों तरफ डोल लगा रखी है तथा जानवरों के लिए बाडा बना रखा है । आवंटन की शर्त संख्या 2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आवंटन की तारीख से 06 माह में कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा और दो वर्ष में पूर्ण करा लिया जावे । इस शर्त का खुले में उल्लंघन हुआ है । आवंटन होने के 06 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । आवंटन आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि शर्त संख्या 3 की पालना न करने पर आवंटित भूमि सरकार में निहित हो जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2010 निरस्त फरमाया जावे।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि मई, 2013 के प्रथम सप्ताह में राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर आये और नाम करने लगे जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति की तो मौके पर आने वाले अधिकारी ने बताया कि कुछ भूमि पटवार घर के लिए आवंटित हुई है जिस पर प्रार्थी ने अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की और नकल लेने हेतु दिनांक 14.05.2013 को आवेदन पत्र पेश किया । नकल दिनांक 16.05.2013 को प्राप्त हुई और यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी नैनवा के द्वारा दिनांक 20.11.2010 को पटवार घर के लिए जो आवंटन आदेश जारी किया गया है वह विधि –विरूद्ध है उनको आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है । खसरा नम्बर 708 की 14 बिस्वा में से 10 बिस्वा का आवंटन किया गया है । इस आराजी पर अपीलान्ट का बुजुर्गो के समय से अनवरत कब्जा चला आ रहा है । चारों तरफ डोल लगाकर जानवरों का बाडा बना रखा है । आवंटन आदेशों की शर्तों का उल्लंघन हुआ है । 06 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । अपीलान्ट को कोई सूचना आवंटन के पूर्व नहीं दी गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 20.11.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सरकारी सिवायचक आराजी में से पटवार घर के निर्माण के लिए आवंटन किया गया है जिसके बाबत् आपत्ति करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2010 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश से सरकारी सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 14 बिस्वा में से 10 बिस्वा आराजी पटवार घर के लिए निशुल्क आवंटित की है । अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण बताते हुए आवंटन आदेश को चैलेंज किया है । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसको जनहित में पटवार घर हेतु आवंटित किया गया है । अपीलान्ट अपनी स्थिति अतिक्रमी की बताते हैं और अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकसस्टेण्डाई (Locus standie) नहीं होता है । अतिक्रमी के कब्जे की आराजी को आवंटन के लिए उपलब्ध आराजी माना जाता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2010 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा